न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 184/2024 निर्णय दिनांक 30.12.2024
जीसीएमएस नम्बर 2024/384
चन्दूराम पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—वादी—

बनाम

1.स्टेट ऑफ राजस्थानजरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़जिला बीकानेर।
—प्रतिवादी

उपस्थितिः—
1. श्री गणेशाराम मेघवाल अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत हैकि वादी के पिता सूरजाराम पुत्र मूंगा जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी राजेडू की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 479 तादादी 4.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 तादादी 12.6200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 तादादी 6.0200 हैक्टेयर वाकेरोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादी के पिता सूरजाराम की मृत्यु के बाद वादगत खेतों में सूरजाराम के वारिसान वादी व वादी की माता धन्नी तथा भाई अर्जनराम, गणेशा, चौना, देदाराम, मुकनाराम, रतीराम के नाम जरिये इन्तकाल संख्या 268 दिनांक 30.05.1986 को हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर रूप से खातेदारी दर्ज हो गई। उपरोक्त वर्तमान खसरान भूमि में वादी के नाम 1/8 हिस्से की खातेदारी दर्ज चली आ रही है । उपरोक्त खसरान भूमि की खातेदारी वादी व वादी की माता व भाइयों के नाम सूरजाराम की मृत्यु के बाद जरिये विरास्तन इन्तकाल संख्या 268 के जरिये दर्ज हुई है । विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी का नाम रामचन्द्र दर्ज कर दिया गया जबकि वादी को अपने घर परिवार में चन्दूराम के नाम से भी जाना व पुकारा जाता रहा है। विरास्तन इन्तकाल दर्ज करते समय वादी से किसी प्रकार की कोई आई.डी नहीं ली गई थी क्योंकि उस समय आई.डी का कोई चलन नहीं था और वादी को अपने घर परिवार में बोलता नाम रामचन्द्र दर्ज करा दिया गया जो कि सही नहीं था। वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का कृषि पैशा व्यक्ति है। वादी के तमाम सरकारी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड बने तो उसमें वादी का नाम चन्दूराम पुत्र सूरजाराम अंकित करा दिया गया जो आज तक बदस्तूर चला आ रहा है। वादी का एक बैंक खाता भी एस. बी.आई. बैंक शाखा ऊपनी तहसील श्रीडूंगरगढ़ में खुलवाया हआ है जिसमें वादी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम चन्दूराम पुत्र सूरजाराम अंकित है। वादी के नाम के सम्बन्ध में सरंपच ग्राम पंचायत राजेडू द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है। वादी ने जब उपरोक्त खसरान की भूमि की जमाबंदी व इन्तकाल, आदि की नकले दिनांक 02.09.2024 को निकलवाई तो वादी को जानकारी हुई कि उनके पैतृक खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 479, 494 व 510 वाकेरोही राजेडू के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से रामचन्द्र पुत्र सूरजा अंकित हो रखा है जबकि वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही चन्दूराम पुत्र सूरजाराम रहा है जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में सही रूप से घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम चन्दूराम पुत्र सूरजाराम रहा है, केवल राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत अंकित चला आ रहा है । वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में उसका सही नाम अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की फोटो प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।। गांव राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में रामचन्द्र पुत्र सूरजा जाति कुम्हार के नाम का वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । वादी के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत राजेडू द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी कर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:41 IST
Reason: SelfAttested

रखा है । वर्णित खसरान भूमि में वादी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग भी लगातार रूप से चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरान की भूमि में अपना सही नाम चन्दूराम पुत्र सूरजाराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरान भूमि में वादी का गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरान भूमि पर के. सी. सी. बनाने, ट्यूब बनाने, विक्रय, हस्तान्तरण करने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से भी वंचित हो रहा है। वादगत खेत में वादी व उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है, इस बाबत वादी ने दिनांक 02.09.2024 को प्रतिवादी से निवेदन किया कि मेरा नाम चन्दूराम है तथा पिता का नाम सूरजाराम है जबकि वादगत खसरान भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम रामचन्द्र व पिता का नाम सूरजा अंकित कर दिया गया है जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात में मेरा सही नाम चन्दूराम व पिता का नाम सूरजाराम अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपके नाम की घोषणा करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी व उसके पिता के नाम की राजस्व रिकार्ड में घोषणा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, ऐसी स्थिति में वादी के पास अपने व अपने पिता के सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रतिवादी की इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की पैतृक खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक प्राप्ति का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है । दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर अपने नाम की घोषणा करवाई जानी आवश्यक हो गई है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खेत रोही मौजा राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमानजी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :—

(क) कि प्रतिवादी को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 479 तादादी 4.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 तादादी 12.6200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 तादादी 6.0200 हैक्टेयर वाकेरोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत रूप से रामचन्द्र पुत्र सूरजा अंकित हो रखा है उसके स्थान पर सही व वास्तविक नाम चन्दूराम पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे व उसकी पालना प्रतिवादी से करवाई जावे।

(ख) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से स्टेट ने जवाब दावा पेश किया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने से तनकीहायत कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी में दस्तावेज प्रर्दश करवाये गये। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 479 तादादी 4.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 तादादी 12.6200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 तादादी 6.0200 हैक्टेयर वाकेरोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र सूरजा के स्थान पर शुद्ध नाम चन्दूराम पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिशिचित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:41 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

चन्दूराम पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थानजरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 184/2024
दावा बाबतः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
निर्णय दिनांकः 30.12.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री गणेशाराम मेघवाल अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **खेत खसरा नम्बर 479 तादादी 4.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 494 तादादी 12.6200 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 510 तादादी 6.0200 हैक्टेयर वाकेरोही राजेडू तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र सूरजा के स्थान पर शुद्ध नाम चन्दूराम पुत्र सूरजाराम जाति कुम्हार सा. देह खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 30 माह 12 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल			
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:01:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)